कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organization
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय ,निधि भवन,विद्युत मार्ग,ज्योति नगर,जयपुर -302005
Regional Office, Nidhi Bhawan, Vidhyut Marg, Jyoti Nagar, Jaipur-302005
Website: www.epfindia.gov.in | Email: ro.jaipur@epfindia.gov.in | Tel: 0141-2740742

No. RJ/JPR/Adm.III/ Date : 04-09-2024

निविदा आमंत्रण सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यलय, जयपुर द्वारा इच्छुक पार्टियों से कार्यालय परिसर मे विधमान अप्रचलित एवं अनुपयोगी एलेक्ट्रोनिक, आईटी एवं टेलिकॉम (e-waste) से संबन्धित सामग्री यथा कम्प्युटर, प्रिंटर, यूपीएस इत्यादि के निपटान (Disposal) हेतु निविदा "As is where is and whatever there is" के आधार पर सील बंद लिफाफे में निर्धारित दर से आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबन्धित विस्तृत नियम एवं शर्ते विभाग की वैबसाइट www.epfindia.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा मे शामिल होने की अंतिम तिथि 18.09.2024 को साय 03.00 बजे तक है। निविदाओं को दिनांक 19.09.2024 को साय 03.00 बजे खोला जायेगा।

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त

CamScanner

निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्ते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा इच्छुक पार्टियों से कार्यालय परिसर में विद्यमान अप्रचलित एवं अनुप्रयोगी इलेक्ट्रानिक एवं आईटी (e-waste) से सम्बन्धित सामग्री यथा कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस इत्यादि के निपटान हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सीलबन्द लिफाफों में निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1. लिफाफे के उपर **"इलेक्ट्रानिक, आईटी एवं टेलिकॉम (e-waste) से सम्बन्धित सामग्री हेतु निविदा"** लिखा होना चाहिए।
2. निविदा अप्रचलित एवं अनुप्रयोगी सामग्री की "जैसा है जहॉ है और जो कुछ है" ("As is where is and whatever thereis") के आधार पर आमंत्रित की जा रही है एवं इनकी छंटनी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. इच्छुक पार्टियां निविदा अवधि के दौरान कार्यालय दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सॉय 04:00 बजे के मध्य कार्यालय के केयर टेकर की उपस्थिति मुें अप्रचलित एवं अनुपयोगी सामग्री जिन के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, का निरीक्षण कर सकते है।
4. निविदाकर्ता को प्रत्येक श्रेणी के वस्तुओ हेतु औसत आधार पर प्रति नग/किलोग्राम की दर का उल्लेख करना होगा जो सभी प्रकार की अप्रचलित एवं अनुपयोगी सामग्री पर लागू होगा।
5. आरक्षित मूल्य (Reserve price) से कम उद्धरण(quote) दर वाली निविदाए अमान्य मकर दी जायेगी।
6. जिस निविदाकर्ता का निविदा मूल्य दर सबसे ज्यादा होगा उसे सफल माना जाएगा एवं सफल निविदाकर्ता को सम्पूर्ण सामग्री से सम्बन्धित भुगतान कर अपने खर्चे पर कार्यालय परिसर से बाहर ले जाना होगा।
7. सभी निविदाओ के साथह रुपये 5000/– का डिमांड ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर के पक्ष में देय होगा, EMD के रुप में संलग्न करना होगा। बिना EMD के निविदाओं को निरस्त माना जायेगा।
8. असफल/अमान्य निविदाकर्ताओ को उनके EMD डिमांड ड्राफ्ट निविदा खुलने की तिथि के 10 के अन्दर वापिस कर दिये जायेगे।
9. सफल निविदाकर्ता को सभी सामग्रियो का वनज अपने खर्च पर कार्यालय परिसर में ही केयर टेकर की उपस्थिति में कराना होगा एवं उनका उद्धरित दर के आधार पर पूरा भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,जयपुर के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दो दिनो के अंदर जमा करना होगा। किश्तो में भुगतान करने अथवा केवल कुछ सामग्रियों को खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सफल निविदाकर्ता को उद्धरित (quote) दर से समस्त सामग्रियों का भुगतान करना अनिवार्य है जिसमें विफल रहने पर निविदा निरस्त कर EMD जब्त कर लिया जायेगा।
10. सफल निविदाकर्ता को सभी सामग्रियों के पूर्ण भुगतान के उपरान्त दो दिनों में सम्पूर्ण सामग्री स्वयं के खर्चे पर कार्यालय से बाहर ले जाना होगा। दो दिनों की अवधि के उपरांत सामग्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।
11. इलेक्ट्रानिक कचरे, खतरनाक अपशिष्ट बैटरियों आदि से युक्त सामग्री की बिक्री पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वर्तमान दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखकर की जा रही है। अतः भावी बोलीदाताओं के पास रीसाइकलर/पुर्नक्रमण एजेन्सी के रुप में पंजीकरण होना चाहिए। जो नीलामी की तारीख ओर डीलिवरी की तारीख को वैद्य हो।

12. सफल निविदाकर्ता को समस्त सामग्रियो को कार्यालय से बाहर ले जाने के दस दिनों के अन्दर ई.एम.डी वापिस कर दिया जायेगा।
13. किसी भी निविदाकर्ता को ई.एम.डी पर ब्याज देय नहीं होगा
14. सभी निविदाओ के साथ निविदाकर्ता का सही फोटो पहचान पत्र. एवं निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगां। जिसके अभाव में निविदा स्वीकार होगी।
15. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त किसी अथवा समस्त निविदाओ को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।
16. किसी भी प्रकार की वाद–विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर का निर्णय ही अन्तिम होगा।
17. इच्छुक पार्टिया दिनांक 18-09-2024 सॉय 3.00 तक अपनी निविदाए कार्यालय में जमा करा सकती है अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकती है।

सभी निविदाओ को दिनांक 19-09 – 2024 को साय 3.00 बजे कार्यालय के सभा कक्ष में खोला जाएगा।

क्षेत्रीय भ0नि0 आयुक्त